

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 07.12.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला दौसा हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1- | श्री बनवारी लाल बडाया पुत्र श्री प्रभुदयाल बडाया,<br>विवेकानन्द कॉलोनी, सन्त सुन्दरदास मार्ग, दौसा। | अध्यक्ष    |
| 2- | श्रीमती मीना तिवाडी पत्नी श्री संतोष तिवाडी,<br>किरण नर्सिंग होम, दुर्गा मन्दिर रोड, दौसा।          | सदस्य      |
| 3- | श्री वृद्धिचंद महावर पुत्र श्री रामेश्वर महावर,<br>बलाजी के पास, देवरी मोहल्ला दौसा।                | सदस्य      |
| 4- | श्री दिनेश खण्डेलवाल,<br>महुवा, जिला दौसा।  | सदस्य      |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय),<br>दौसा।   | सदस्य-सचिव |

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होंगी।

आज्ञा से,

*Sd-*

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा।
- 7- पुलिस अधीक्षक, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- सम्बन्धित।
- 10- रक्षित पत्रावली।

*92* 7/12/2016  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस